बिहार सरकार

<u>ग्रामीण विकास विभाग</u>

पत्रांक 229435 ग्रा.वि., पटना, दिनांक 28|04|2015

ग्रा.वि.-7(सा0वा0)-08/2014

प्रेषक,

प्रदीप कुमार,

सचिव ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त -सह- अपर जिला कार्यक्रम समन्वयक,

विषय:- **सामाजिक वानिकी से संबंधित प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।**

प्रसंग:- **विभागीय पत्रांक- 220527 दिनांक 13.02.2015 एवं पत्रांक- 226744 दिनांक 07.04.2015 ।**

महाशय,

उपरोक्त विषय के संबंध में कहना है कि आज दिनांक 24.4.2015 को संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मनरेगा के तहत सामाजिक वानिकी के क्रियान्वयन पर राज्य स्तरीय **Video Conferencing** की गयी है । उक्त **Video Conferencing** में वित्तीय वर्ष 2015-16 में वृक्षारोपण के वार्षिक कार्य योजना (AAP) की समीक्षा की गयी एवं वार्षिक कार्य योजना से संबंधित प्रगति प्रतिवेदन की चर्चा की गयी । संयुक्त सचिव महोदय द्वारा निर्देश दिया गया है कि-

1. अविलम्व वृक्षारोपण की योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु PMGSY रोड एवं अन्य ग्रामीण संड़को को चिन्हित किया जाए एवं वनपोषको का चयन कर उनकी प्रविष्टि नरेगा Soft पर योजनावार की जाए ।
2. सामाजिक वानिकी के कार्यान्वयन हेतु पूर्व प्रेषित पत्र (पत्रांक-220527 दिनांक 13.02.2015) के आलोक में Block Plantation/Plantation on community land/Horticulture land से संबंधित सर्वे कार्य अविलम्व पूरा कर प्रतिवेदित की जाए एवं लाभुको/वनपोषको का चयन कर उनकी Tagging कर MIS पर इंट्री की जाए ।
3. पौधारोपण हेतु सरकारी नर्सरी में उपलब्ध पौधो का आकलन कर लिया जाए एवं आवश्यकतानुसार विभाग द्वारा दिए निर्देश के आलोक में पौधो को प्राप्त किया जाए ।

उपरोक्त के क्रम में विभाग द्वारा निम्न निदेश दिये जाते है:-

1. विभागीय पत्रांक- 220527, दिनांक 13.02.2015 द्वारा प्रेषित प्रपत्र में पूर्ण प्रतिवेदन अविलम्व विभाग को भेजी जाये ।
2. विभाग द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका के आलोक में लाभुको का चयन कर उनका रजिस्ट्रेशन/account freezing नरेगा Soft पर कर लिया जाये ।

3. अरवल, बांका, बेगुसराय, भागलपुर, भोजपुर, गया, जहानाबाद, कटिहार, खगडिया, किशंनगंज, लखीसराय, मुंगेर, नालन्दा, पटना, सहरसा, समस्तीपुर, शिवहर ,सीतामढ़ी, जिलों से प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त है जिसमें शिवहर, मुंगेर, भागलपुर, एवं जहानाबाद जिलों द्वारा सामाजिक वानिकी का प्रखंण्डवार अपूर्ण प्रतिवेदन भेजा गया है । कृपया जिला स्तर पर पुनः इसकी समीक्षा कर समेकित प्रतिवेदन भेजने की कृपा की जाए । शेष सभी जिले भी समाजिक वानिकी से संबंधित समेकित प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में जिलावार दिनांक- 30.04.2015 तक भेजने की कृपा करेंगे ।

विदित हो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मनरेगा के तहत सामाजिक वानिकी को विशेष प्राथिमिकता दी जा रही है तथा समय-समय पर महत्वपूर्ण निदेश दिये जा रहे है । अतः विभाग द्वारा समाजिक वानिकी के क्रियान्वयन हेतु प्रेषित सभी दिशा निदेशो का व्यत्किगत अभिरूचि लेकर अनुपालन किया जाए एवं विभाग द्वारा मांगी गयी सुचनाओं को विहित प्रपत्रों में अनिवार्य रूप से ससमय भेजा जाए ।

कृप्या इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए ।

विश्वासभाजन

प्रदीप कुमार

(प्रदीप कुमार) 25.4.15

सचिव

24/4/15